



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1791]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2015/भाद्र 2, 1937

No. 1791]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2015/BHADRA 2, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2015

(आयकर)

का.आ. 2298(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपावाक्य-(22ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के तीन निर्धारण वर्षों के लिए उक्त उपवाक्य के प्रयोजन हेतु समाचारों के संग्रहण और संवितरण मात्र के लिए भारत में स्थापित समाचार एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इस शर्त के अधीन है कि यह समाचार एजेंसी अपनी आय का प्रयोग या संग्रहण समाचार के संकलन एवं वितरण मात्र के लिए प्रयोग करेगी और इसे यह किसी भी प्रकार से अपने सदस्यों को वितरित नहीं करेगी।

[अधिसूचना सं. 72/2015/फा. सं. 165/05/2014-(आईटीए-1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक